निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 कार्तिक 1930 (श0)
(सं0 पटना-500) पटना, वृहस्पतिवार, 23 अक्तूबर 2008

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

23 अक्तूबर 2008

सं.-वि.प.वि.-124/2008-3159-(3) वि.प. बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :-

संशोधन

1. नियमावली के नियम 3 के परन्तुक की तीसरी पंक्ति में शब्द ''तार'' के स्थान पर शब्द ''दूरभाष'' प्रतिस्थापित हो।
2. नियमावली के नियम 8 (2) (ख) के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द ''पत्र'' के पश्चात् शब्द, ''पर'' स्थापित हो।
3. नियमावली के नियम 15 के परन्तुक की पहली पंक्ति में शब्द ''परिषद्'' के स्थान पर शब्द ''सदन'' प्रतिस्थापित हो।
4. नियमावली के नियम 15 के परन्तुक की दूसरी पंक्ति में शब्द ''सभापति'' के पश्चात् शब्द ''परिषद्'' के स्थान पर शब्द ''सदन'' प्रतिस्थापित हो।
5. नियमावली के नियम 16 (1) की पहली पंक्ति में अंक ''8'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित हो।
6. नियमावली के नियम 31 की पहली पंक्ति में शब्द ''परिषद'' के स्थान पर शब्द ''सदन'' प्रतिस्थापित हो।
7. नियमावली के नियम 31 की दूसरी पंक्ति में शब्द ''परिषद्'' के स्थान पर शब्द ''सदन'' प्रतिस्थापित हो।
8. नियमावली के नियम 84 (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''अधिनियम'' के स्थान पर शब्द ''अनुच्छेद'' प्रतिस्थापित हो।
9. नियमावली के नियम 114 (ख) की चौथी पंक्ति में शब्द ''परिषद्'' के स्थान पर शब्द ''सदन'' प्रतिस्थापित हो।
10. नियमावली के नियम 130 (1) (ख) में शब्द ''देगी'' के पश्चात् अर्धविराम तथा शब्द ''और'' प्रतिस्थापित हो।
11. नियमावली की प्रथम अनुसूची की आठवीं पंक्ति में शब्द ''प्रिय सभापति'' विलोपित हो।

राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के गठन का प्रस्ताव

12. नियमावली के नियम 283 (छ) के पश्चात् नियम 283 (ज) निम्न रूप से स्थापित हो:

''283 (ज) बिहार विधान मंडल का एक राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो होगा।

(1) ब्यूरो का गठन - सभापति ब्यूरो के पदेन अध्यक्ष होंगे। ब्यूरो के सदस्यों का मनोनयन सभापति, बिहार विधान परिषद् अध्यक्ष, बिहार विधान सभा और सदन नेता के परामर्श से करेंगे।

(2) ब्यूरो के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों को छोड़कर अधिकतम 5 (पांच) सदस्य होंगे। अध्यक्ष और पदेन सदस्यों को छोड़कर वह व्यक्ति ब्यूरो का सदस्य मनोनीत किया जा सकेगा जो बिहार विधान मंडल/भारत के संसद के किसी भी सदन का कुल मिलाकर न्यूनतम 15 (पन्द्रह) वर्षों तक सदस्य रहा हो और वर्तमान मं किसी भी सदन का सदस्य न हो।

(3) अध्यक्ष, बिहार विधान सभा और मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ब्यूरो के पदेन सदस्य होंगे।

(4) ब्यूरो का कार्यकाल सामान्यत: एक वर्ष या नए ब्यूरो के गठन के पूर्व तक होगा।

(5) पदेन अध्यक्ष के निदेश पर ब्यूरो की बैठकें समय-समय पर बुलाई जा सकेंगी।

(6) ब्यूरो का उद्देश्य एवं क्रियाकलाप, विधायकों के लिए कार्यक्रम, अन्य प्रांतीय विधानमंडलों के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अध्ययन यात्रा नियमावली के परिशिष्ट-3 में यथा उपबन्धित लागू होंगे।''

13. नियमावली के परिशिष्ट-2 के पश्चात् परिशिष्ट-3 निम्नवत स्थापित हो :

''परिशिष्ट-3

राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो

राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के उद्देश्य एवं क्रियाकलाप, विधायकों के लिए कार्यक्रम, अन्य प्रांतीय विधानमंडलों के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अध्ययन यात्रा

उद्देश्य एवं क्रियाकलाप

संसदीय लोकतंत्र के उद्‌भव एवं विकास के क्रम में कुछ बेहद जटिल क्रियाविधि एवं प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं। अतएव, लोकतांत्रिक ढांचे के विविध स्तरों पर कार्यरत नीति-निर्धारकों, विधान-निर्माताओं, प्रशासकों एवं कर्ता-धर्ताओं को संसदीय संस्थाओं के सिद्धांतों, औजारों और परिचालन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और आचार-व्यवहार संसदीय संस्थाओं की जरूरतों, उत्तरदायित्व, दिशा एवं प्रवृत्ति के अनुकूल होना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक अध्ययन, अनुकूलन (ओरिएन्टेशन) व प्रशिक्षण का दायित्व विधानमंडल के जिम्मे ही आता है।

संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण इसलिए भी आवश्यक है कि माननीय सदस्यों के लिए विचार-गोष्ठियां और पुनश्चर्या कार्यक्रमों का आयोजन, और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर गांव से राज्य की राजधानी तक सहयोग और समन्वय स्थापित कर लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली का मजबूत ढांचा खड़ा किया जा सके।

राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो (बी.एस.एल.एस.टी.) का गठन बिहार विधानमंडल के एक अभिन्न अंग के रूप में किया गया है। ऐसा विधायकों एवं पदाधिकारियों को संसदीय संस्थाओं, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विभिन्न अनुशासनों में समस्या आधारित अध्ययन एवं सुव्यवस्थित प्रशिक्षण हेतु संस्थागत अवसर मुहैया करने के मद्देनजर किया गया है।

व्यवस्थित प्रशिक्षण, संसदीय सस्थाओं में पुनश्चर्या कार्यक्रम और प्रक्रिया तथा व्यवहारोन्मुख अध्ययन का अभाव बिहार विधान परिषद् में दीर्घकाल से अनुभव किया जा रहा है। अब जब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय व्यवस्था संवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत हैं, तब बिहार विधान परिषद् का यह अनुभव और अधिक तीव्र हो गया है।

ब्यूरो द्वारा संचालित क्रियाकलापों में बिहार के विधानमंडल सदस्यों के लिए अनुकूलन (ओरिएंटेशन) प्रोग्राम एवं सेमिनार तथा विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कोर्स शामिल है। साथ ही, बिहार सरकार के शीर्ष एवं मध्य स्तरीय अधिकारियों, लोक उपक्रमों तथा विभिन्न प्रादेशिक सेवाओं के प्रोबेशनरों के लिए मूल्यांकन (एप्रिसियेशन) कोर्स और सदस्यों तथा अन्यान्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एटैचमेंट एवं अध्ययन यात्राओं का आयोजन भी ब्यूरो के जिम्मे है।

राज्य विधानमंडल सचिवालय कर्मियों के लिए प्रदेश से बाहर अन्य प्रादेशिक विधानमंडलों एवं संसद में प्रशिक्षण, एटैचमेंट एवं अध्ययन यात्राओं के अवसर मुहैया कराना भी ब्यूरो के कार्यकलापों में शामिल है।

अध्ययन मंडल का कार्य और दायित्व यह भी होगा कि विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तथा विधायिका और प्रेस से संबंधित विषयों पर भी समय-समय पर विशेष आयोजन करे।

विधायकों के लिए कार्यक्रम

नये विधायकों के लिए अनुकूलन (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम : लोकतांत्रिक राज-व्यवस्था में समाज के हर तबके के लोगों को विधायिका के लिए निर्वाचित होने का समान अवसर प्राप्त है। ऐसे में, संभव है कि राज्य विधायिका के लिए पहली बार निर्वाचित होकर आए सदस्य संसदीय कानून, चलन एवं प्रक्रियाओं की बारीकियों से पूर्ण अवगत न हों। ऐसे सदस्यों को विधायिका की कार्यविधि से परिचित कराने में सहायता के लिए ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अनुकूलन (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम चलाया जाएगा।

अनुकूलन कार्यक्रम एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में विधायिका को संवैधानिक भूमिका एवं स्थिति को गहराई से समझने एवं मूल्यांकन में मदद करने तथा सदस्यों को संसदीय परंपराओं, संचालन विधियों एवं सम्यक् शिष्टाचार से निकटता से परिचित कराने के उद्देश्य से संचालित होंगे ताकि वे मूल्यवान संसदीय समय का अधिकाधिक प्रभावी इस्तेमाल कर अधिक सार्थक व सूचनापरक बहस करें एवं जन सामान्य की आशाओं-आकांक्षाओं पर पूरा उतर सकें।

इस अनुकूलन कार्यक्रम में संसदीय एवं प्रक्रियात्मक विषयों पर अन्तर्क्रियात्मक बहसों के सत्र संचालित किए जाएंगे। इनमें संसदीय प्रक्रिया एवं क्रिया प्रणालियों से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की व्यवस्था की जाएगी। नये सदस्यों को पेश आने वाली समस्याएं, एक सफल विधायक बनने के उपाय, संसदीय परंपराएं, परिपाटियां एवं शिष्टाचार, विधायकों एवं सदस्यों के विशेषाधिकार, संसदीय समितियां, वित्तीय समितियां, संसदीय प्रश्न, सदन में लोक महत्व के मुद्दे उठाने हेतु सदस्यों को प्राप्त प्रक्रियात्मक साधन, विधायी प्रक्रियाएं, बजट प्रक्रिया, सदस्यों को प्राप्त सुख-सुविधाएं आदि विषय सामान्यत: उन अनुकूलन कार्यक्रमों में सम्मिलित किए जाएंगे।

इन अनुकूलन कार्यक्रमों में नई आर्थिक नीति, पंचायती राज संस्था, विधायिका, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जैसे विधायिका एवं उसके सदस्यों से सीधा सरोकार रखने वाले विषय लिए जाएंगे।

कार्यक्रम में हमारे देश की संसदीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान देने एवं बहस करने के लिए महत्वपूर्ण सांसदों, वर्तमान माननीय सदस्यों के अतिरिक्त अनुभव-प्राप्त पूर्व माननीय सदस्यों एवं वरिष्ठ संसदीय अधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। वक्ता बहस हेतु लिए जाने वाले विषय की संक्षिप्त चर्चा करेंगे और फिर प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे। यह बहस सत्र अंतर्क्रियात्मक होगा। अतएव नये निर्वाचित सदस्यों के लिए यहां मौका होगा कि वे खुले मन से अपने विचार एवं अनुभव वरिष्ठ सदस्यों से बांट सकें। जिस विषय पर बहस होनी है, उसका एक लिखित ब्यौरा तैयार कर बहस शुरू होने के पूर्व ही सहभागियों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। ब्यूरो इस निमित्त न केवल आवश्यक परिचायात्मक सामग्री बल्कि सचिवालय, संगठनात्मक एवं अनुसंधानात्मक सहायता भी प्रदान करेगा।

भारत के प्रादेशिक विधानमंडलों के सदस्यों के लिए अनुकूलन प्रोग्राम का आयोजन सामान्यत: पटना में किया जाएगा, विधानमंडलों का विशेष अनुरोध आने पर यह आयोजन अन्य स्थानों पर भी किया जा सकेगा।

सेमिनार तथा कार्यशाला

ब्यूरो विधायकों एवं विधानमंडल कर्मचारियों के लिए सेमिनारों तथा विशेष कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा ताकि वे संसदीय मुद्दों के विभिन्न विषयों पर बेहतर समझ बना सकें। समय समय पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के ज्वलंत विषयों पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य जटिल राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विधायकों को गहरी और व्यापक समझ बनाने में सहायता प्रदान करना होगा।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम

संसद और विधानमंडल अनेक व्यापक विषयों पर बहस-मुबाहिसे की सर्वोच्च संस्था है। मौजूदा वैज्ञानिक व तकनीकी युग में विस्मयकारी गति से विकास हो रहा है। निर्वाचन-क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियां, कार्यालय स्वचालन गतिविधियां, निजी सूचना प्रबंधन, अन्य राज्य विधान मंडलों से वार्तालाप और अन्य संगठनों के इंटरनेट व ई-मेल से संपर्क साधने जैसे क्रिया-कलापों में विधायकों की प्रभावकारी भूमिका बनाने के लिए उन्हें कम्प्यूटर की सहूलियत उपलब्ध होगी। कम्प्यूटरीकरण की उपयोगिता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए ब्यूरो के द्वारा कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम विधायकों से जुड़े पदाधिकारियों एवं निजी स्टाफ के लिए चलाए जाएंगे।

विधायी प्रारूपण (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) में विधानमंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम

ऐसा देखा गया है कि विकासशील देशों के विधायकों को गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के प्रारूपण में मदद देने के लिए शायद ही प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर पर विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा जो साल में एक बार नवंबर और जनवरी के बीच होगा।

विधायी इंटर्नशिप कार्यक्रम के मामले में, विधायी प्रारूपण कार्यक्रम के भागीदार अन्य विधानमंडलों से लिए जाएंगे। साथ ही, यह कार्यक्रम उन प्रायोजित या नामित लोगों के लिए भी उपलब्ध होगा जो आने-जाने, ठहरने आदि का खर्च वहन कर सकते हैं। हालांकि उनको दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए बी.एस.एल.एस.टी. द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

विधानमंडल पदाधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम

राज्य विधानमंडल सचिवालयों में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कर्मियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य भागीदारों को संसदीय कार्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी देना है ताकि उनकी कार्यकुशलता परिष्कृत हो तथा विचारों व अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से उनका दृष्टिकोण व्यापक हो। विधायी सेवाओं में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि ऐसे प्रतियोगियों में विधायी कर्मियों के लिए जरूरी संसदीय दृष्टिकोण, सम्यक् नजरिये का विकास, सेवा के प्रति समर्पण की भावना, परिशुद्धता, तत्परता, वस्तुनिष्ठ आयास, जनप्रतिनिधियों के लिए सर्वोच्च सम्मान का भाव, शिष्टाचार आदि गुण पैदा किए जा सकें। समिति और विधायी कार्यों, पुस्तकालय, संदर्भ व अनुसंधान कार्य, अनुवाद, संपादकीय कार्य, निगरानी के कार्य, प्रशासनिक व कार्यपालक प्रकृति के कार्य, टंकण व आशुलेखन आदि से जुड़े कर्मियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। समय-समय

पर टिप्पण-प्रारूपण और कार्यालय संचालन से संबंधित अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जायंगे। ऐसे सभी पाठ्यक्रमों के माध्यम से कर्मियों के कर्तव्य-पालन में मदद मिलेगी और इनसे जुड़े नियमों की भी जानकारी उन्हें मिलेगी।

अध्ययन-यात्रा

नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त ब्यूरो राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ-साथ छात्रों, विद्वानों, शिक्षाविदों आदि के लिए लघु अध्ययन यात्राएं भी आयोजित करेगा ताकि भागीदारों को संसदीय संस्थानों की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के बारे में मुख्य-मुख्य पहलुओं की जानकारी मिल सके।

ऐसी अध्ययन यात्रा में भारतीय राजनीतिक प्रणाली और इससे जुड़े मसलों पर आख्यान होंगे तथा सत्रों के दौरान विधान सभा/परिषद् की कार्यवाही को दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। जिन दिनों सत्र नहीं चल रहे होंगे उन दिनों अध्ययन यात्रिओं को विधायी सदन से संबंधित शो दिखाए जाएंगे। ऐसी यात्राओं से भागीदारों को भारतीय राजनीतिक प्रणाली के कार्यकलाप के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल होगी और वे विधान सभा, विधान परिषद् एवं राज्य विधान मंडल पुस्तकालय से सुसज्जित विधायी सदन की भव्यता के साक्षी बन सकेंगे।''

14. नियमावली के नियम-2 की अंतिम पंक्ति के पश्चात् निम्न स्थापित हो :

''ब्यूरो'' से अभिप्रेत है - राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो''

मुंगेश्वर साहु,
सचिव,
बिहार विधान परिषद्।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 500-571+500-डी0टी0पी0।